प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मीरजापुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
सनबीम एकेडमी नॉलेज पार्क बरईपुर, जमालपुर,
मीरजापुर।

पत्रांक : मान्यता/ 927-28 /2021-22 दिनांक 03-06-2021

विषय– विद्यालय की स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18(20)/08 मई, 2013 में दिये गये निर्देश के क्रम में मान्यता समिति के अनुमोदनोपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक–मान्यता/15554–59/2017–18 दिनांक–26.12.2017 के द्वारा सनबीम एकेडमी नॉलेज पार्क बरईपुर, जमालपुर, मीरजापुर को दिनांक–26.12.2017 से दिनांक–25.12.2020 तक तीन वर्ष की अवधि तक के लिए कक्षा नर्सरी से 8 तक के लिए अनन्तिम अंग्रेजी माध्यम की मान्यता प्रदान की गयी थी। इस सन्दर्भ में आपने अपने पत्र दिनांक–15.12.2020 के द्वारा पत्रजात संलग्न करते हुए विद्यालय की मान्यता नवीनीकृत करते हुए विद्यालय की स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गयी। खण्ड शिक्षा अधिकारी, जमालपुर की आख्या एवं संस्तुति दिनांक–03.06.2021 एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के परोक्षणोपरान्त दिनांक–26.12.2017 से दिनांक–25.12.2020 के बीच मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को संज्ञानित नहीं हुआ। उक्त विद्यालय स्वयं की जमीन पर संचालित किया जा रहा है।

अतः खण्ड शिक्षा अधिकारी जमालपुर की जॉच आख्या एवं विद्यालय द्वारा मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित न होने के फलस्वरूप सनबीम एकेडमी नॉलेज पार्क बरईपुर, जमालपुर, मीरजापुर को इस कार्यालय के पत्रांक– मान्यता/15554–59/2017–18 दिनांक–26.12.2017 के द्वारा दी गयी अनन्तिम मान्यता को इस प्रतिबन्ध के साथ स्थायी किया जाता है कि विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18(20)/91 दिनांक–08 मई, 2013, शासनादेश संख्या 89/अरसठ–3–2018–2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019, एवं शासनादेश संख्या–02/2020/अड़सठ–3–2020–2041/2018 दिनांक– जून, 2020 में उल्लिखित नियमावली एवं शर्तो का नियमानुसार पालन किया जा रहा है एवं भविष्य में नियमावली एवं शर्तो का कोई उल्लघंन नही किया जायेगा यदि विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित एक या एक से अधिक शर्तो का उल्लंघन करने अथवा अनुसूची में निर्धारित मानकों एवं स्तर को पूर्ण करने में चूक की गयी हो तो शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18(20)/91 दिनांक–08 मई, 2013 के नियम–13 के उप नियम (क) (ख) (ग) (घ) के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए प्रबन्धतंत्र पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगा। उक्त के अतिरिक्त प्रबन्धक द्वारा मान्यता के संबंध में प्रस्तुत कोई तथ्य छिपाने अथवा कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा, जिसका सम्पूर्ण विधित उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय
3.6.2021
(गौतम प्रसाद)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मीरजापुर

पृ0सं0 : मान्यता/ /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, मीरजापुर।

(गौतम प्रसाद)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मीरजापुर